बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय, बेली रोड, पटना।
निविदा सूचना संख्या.08/2013-14

1. विभाग का नामः- पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,बिहार, पटना।
2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पताः- पुलिस अधीक्षक(वितन्तु) बिहार,पटना। बिहार पुलिस रेडियो,मुख्यालय बेली रोड,पटना।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समयः- दिनांक- 17.12.2013 के 1500 बजे तक।
4. निविदा प्राप्ति का स्थानः- विज्ञापन का कार्यालय, बिहार पुलिस रेडियो, बेली रोड, टी0एक्स0 भवन, राजवंशी नगर, पटना-23
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समयः-दिनांक-17.12.2013 के 1600 बजे।
6. अनुमानित राशि :- रू0 एक लाख से उपर परन्तु पच्चीस लाख से कम।
7. मद का नामः-(i) नया पुलिस लाइन स्थित एस0डी0सी0 पटना में स्थापित 60 फीट एरियल मास्ट को खोलकर बिहटा थाना के छत पर स्थापित करना।
   (ii) नया पुलिस लाइन स्थित एस0डी0सी0 ,पटना में स्थापित 45 फीट एरियल मास्ट को खोलकर मसौढ़ी थाना के छत पर स्थापित करना।
   (iii) पालीगंज थाना में स्थापित 60 फीट आयरन मास्ट को खोलकर पालीगंज थाना के नये भवन के छत पर स्थापित करना है।
   (iv) एस0डी0सी0 बाढ़ में स्थापित 100 फीट टावर के रंगाई एवं मरम्मत।

उपरोक्त 60 फीट एवं 45 फीट एरियल मास्ट तथा 60 फीट आयरन मास्ट को विस्थापन, मरम्मत एवं पुनस्थापित कर उसकी रंगाई एवं डेंटिंग करना।

Specification of Painting:-

Cleaning, Brushing and Removing old paint by emery paper and two quote painting with super enamel paint in red and white colour over one coat prime after tightening of all nut and bolts.

निविदा के नियम एवं शर्त

1. इस मद में निविदायें सिर्फ बिहार में स्थित इकाइयों/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता या राज्य के बाहर उत्पादनरत ईकाइयों के स्थानीययें कारपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/एजेंट/प्राधिकृत डीलर/ विक्रेता/आपूर्तिकर्ता के द्वारा ही दी जायेगी लेकिन सफल निविदाताओं को कार्यादेश देने के पहले बिहार वाणिज्य कर में निबंधन का प्रमाण पत्र देना होगा।

2. निविदाकर्ता को बिहार वित्त नियमावली के नियम 131ज के आलोक में दो बोली प्रणाली के तहत दो भागों में निविदा निम्नरूपेण देना होगा।

   (क) तकनीकी बोली जिसमें निम्न वर्णित वाणिज्यिक शर्तो एवं प्रतिबंधों के साथ सभी तकनीकी ब्यौरा शामिल रहेगा।

   (ख) वित्तिय बोली जिसमें तकनीकी बोली में शामिल की गई ईकाइयों का इकाईवार मूल्य दर्शाया जायेगा।

3. निविदा के तकनीकी बोली में बिहार बिकी कर, निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन की छाया प्रति, चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा तैयार किया गया निविदाकर्ता के फर्म का वार्षिक ऑडिट टर्न ओभर की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। निविदा के इस भाग में फर्म द्वारा प्रस्तावित मदों की तकनीकी विवरणी, वाणिज्यिक शर्तो एवं प्रतिबंधों इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख करेंगे। दरों की वैद्यता 31 मार्च 2014 तक होगी। अतएव फर्म प्रस्तवित दरों की वैद्यता का भी स्पष्ट उल्लेख करेंगें। मद के लिए दी जानेवाली गारण्टी अवधि का भी उल्लेख निश्चित रूप से होना चाहिए।

4. वित्तीय बोली में तकनीकी बोली में शामिल की गई मद का इकाईवार मूल्य निम्नलिखित ढंग से अंकित होगा। (क) प्रस्तावित कार्य का मूल्य प्रति इकाई (ख) देय कर (ग) दर एवं वैट सहित नेट मूल्य अंकों एवं शब्दों में साफ-साफ अंकित करना होगा।

5. तकनीकी बोली एवं वितीय बोली अलग-अलग लिफाफों में सील बंद होनी चाहिए एवं उन पर तकनीकी बोली एवं वितीय बोली अंकित होनी चाहिए। दोनो लिफाफों को एक बड़े लिफाफा में डाल कर एवं सील बंदकर इसपर निविदा एवं प्रकाशित निविदा सूचना की निविदा संख्या अंकित रहेगी। इसपर निविदाकर्ता अपना फर्म का नाम अंकित नहीं करेंगे। सीलबंद लिफाफा को उपर्युक्त तिथि एवं समय तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

6. दरों में किसी प्रकार का कटिंग/ओभर राईटिंग अथवा संशोधन पाये जाने पर अथवा उपर्युक्त किसी भी वांछित सूचना एवं अभिलेखों को शर्तो के अनुसार वितीय बोली एवं तकनीकी बोली में उपलब्ध नहीं कराये जाने पर निविदा बिना विचार किये त्तक्षण रदद कर दिये जायेंगे। तकनीकी बोली में वैद्य पाये जाने वाले निविदाकर्ताओं की ही वितीय बोली खोली जायेगी और इस संबंध में विज्ञापनदाता का निर्णय ही सभी फर्मो के लिए बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नही होगा।

7. निविदाकर्ताओं को उपरोक्त कार्य स्वयं करने होगे इसके लिए अलग से कोई अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा। सामानों को चढ़ाने उतारने या साईट पर ले जाने वाले खर्च का वहन भी निविदाकर्ता को स्वयं करना होगा।

8. विपत्रों की भुगतान की कारवाई मद निरीक्षण समिति द्वारा स्वीकार करने के बाद ही प्रारम्भ की जायेगी ।

पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये एक या एक से अधिक या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्णरूप से अस्वीकृत कर दें।

उपर्युक्त वियमों का अनुपालन नहीं करने वाले निविदादाताओं का निविदा बिना विचार किये तत्क्षण रद्द कर दिया जायेगा।

29/11/13

पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
बिहार, पटना।

पुलिस अधीक्षक (वितन्तु)
बिहार, पटना